FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ....सहायक कलक्टर (SDO) बायतु.... मुकाम....

....भंवराराम.... बनाम ....सांवताराम वगैरा....

किस्म मुकदमा....राज वाद.... नं. ....117/18.... सन ....2018....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/7/18	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ....रिड़माराम सियाग.... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ....88, 90, 188, 209.... राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ....11/09/18.... को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
11/09/18	वादी वकील उपस्थित/ प्रतिवादीगणों के सम्मन तामील अदम तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी बाद दोपहर दीगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 29/10/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
29/10/18	वादी वकील उपस्थित / प्रतिवादीगणों के सम्मन तामील अदम तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी बाद दोपहर दीगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 18/12/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:36:12 IST
Reason: SelfAttested

बहुक्म 25/06/19

18/12/18 वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगणों के सम्मन तामील अदम तामील अप्राप्त। चूंकि पीठासीन अधिकारी अवकाश पर पधारे हुए हैं अतः मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 21/01/19 को पेश हो।

21/01/19 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय फरीकान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 06/03/19 को पेश हो।

06/03/19 वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगणों के सम्मन तामील अदम तामील अप्राप्त। चूंकि पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 26/04/19 को पेश हो।

26/04/19 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय फरीकान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 18/06/19 को पेश हो।

18/06/19 वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-1,2 व 4 से 19 की ओर से वकील श्री हुकमसिंह चौधरी द्वारा वकालातनामा तथा वादी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 1 नियम 10 सपठित धारा 151 CPC मय संशोधित शीर्षक पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या-3 व 20,21 के सम्मन तामील अदम तामील अप्राप्त। वादी वकील प्रतिवादी संख्या- 3 व 20,21 के सम्मन मय रजिस्ट्री खर्चा पेश करें तथा प्रतिवादी वकील जवाब पेश करें, पेश होने पर पत्रावली दिनांक 25/06/2019 को पेश हो। पुनः वकील प्रतिवादी [illegible] Q-10 पर No objection किया गया, जिसे स्वीकार किया [illegible] पक्षकार बाद में प्रतिवादी संख्या- 22 बनाया [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:36:12 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/06/19	वादी व प्रतिवादी संख्या-1,2 व 4 से 19 के वकील उपस्थित। प्रतिवादी वकील द्वारा जवाब तथा वादी वकील द्वारा प्रतिवादी संख्या-8 व 20, 20 के सम्मन मय रजिस्ट्री खर्चा पेश नहीं किया गया, [illegible] पेश करना चाहते है। [illegible] दिया जाकर पत्रावली दिनांक 6/08/19 को पेश हो।	
06/08/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय नक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनाक 19/08/19 को पेश हों।	
19/08/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय नक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनाक 25/09/19 को पेश हों।	नवाराम मेहराराम खेताराम पिथाराम
25/09/19	वादी व प्रतिवादी संख्या-1,2 व 4 से 19 के वकील उपस्थित। तथा प्रतिवादी संख्या-3 स्वयं उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-1 से 6 की ओर से दस्तावाली जवाबदावा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या-7, 16 व 22 की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ द्वारा वकालातनामा पेश किया गया। 7 से 19 व 22 के अधिवक्ता जवाब पेश नहीं करना चाहते है जिनका जवाब बन्द किया जाता है। वादी वकील द्वारा प्रतिवादी संख्या-20 व 21 को तर्क किया गया। ~~वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के~~ अत: पत्रावली वास्ते वादी साक्ष्य दिनांक 16/10/19 को पेश हो। (सहायक कलेक्टर (SDO) [illegible])	प्र०सं. 20 व 21 को तर्क करता हूँ (वादी वकील) [illegible] 19 व 22 [illegible] वकील

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:36:12 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म की ... में जारी हुए
16.10.2019	वादी व प्रतिवादी वकील उप० / वादी की ओर से साक्ष्य के रूप में PW-1 वादी स्वयं का व PW-2 मेघाराम पुत्र अमलाराम का शपथ-पत्र पेश किया तथा वादी वकील द्वारा दस्तावेज प्रति पेश की जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील व प्रतिवादी वकील और साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है. पत्रावली वास्ते बहस हेतु आईन्दा दिनांक 6/1/2020 को पेश हो।	भवरराम [thumb impression] अमल्ले मेघाराम [signatures]
6/1/2020	वकुलाय फरीकैन उप०/ वादी व प्रतिवादी वकील व बहस सुनी गई। निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया. पत्रावली फैसला शुमार हो. नम्बर से कम हो. दाखिल दफ्तर हो। [signature] 6.1.2020 सहायक कलक्टर (SDO) आहोर	

यालय उ...
वादीगण
1. भंवरराम पुत्र सांवत... जाति–जाट, निवासी– ढाणी, रतेउ, तहसी...

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:36:12 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बायतु

(पीठासीन अधिकारी विवेक व्यास R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या– 117/2018

वादीगण | **बनाम** | **प्रतिवादीगण**

वादीगण

1. भंवराराम पुत्र सांवताराम जाति–जाट, निवासी–मदों की ढाणी, रतेउ, तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर हाल निवासी राजबेरा, उण्डू तहसील शिव जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. सांवताराम पुत्र मदरूपाराम
2. मेहराराम पुत्र सांवताराम
3. गेनाराम पुत्र सांवताराम
4. खेराजराम पुत्र सांवताराम
5. सोनाराम पुत्र सांवताराम
6. पीराराम पुत्र सांवताराम
7. मेहाराम पुत्र लिखमाराम
8. प्रभूराम पुत्र लिखमाराम
9. तुलछाराम पुत्र लिखमाराम
10. बाबूराम पुत्र लिखमाराम
11. धापूदेवी पत्नी लिखमाराम
12. गंगाराम पुत्र मदरूपाराम
13. गोरधनराम पुत्र मगाराम
14. पीराराम पुत्र शेराराम
15. कलाराम पुत्र शेराराम
16. मोटाराम पुत्र शेराराम
17. टीपूदेवी पत्नी शेराराम
18. किरपाराम पुत्र मगाराम
19. पुनमाराम पुत्र मगाराम
    जातियान् जाट निवासीयान् मदों की ढाणी, रतेउ तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर
20. प्रबन्धक मरूधराम ग्रामीण बैंक शाखा सवाउ पदमसिंह तहसील गिड़ा
21. तहसीलदार, गिड़ा
22. लिखमणाराम पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी दलोणियों की ढाणी, रतेउ तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर
23.

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.</u>

दिनांक :–06/01/2020

उपस्थित :– 1. श्री रिणछाराम सियाग वकील वादीगण

2. श्री खेताराम जाखड़ वकील प्रतिवादी संख्या 1,2 व 4 से 19

–: निर्णय :–

वादी ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रतिवादी प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:36:12 IST
Reason: SelfAttested

6.1.2020

.। 12 की पैतृक एवं स्वअर्जित कब्जाशुदा खातेदारी की भूमि मौजा दलोणियों की ढाणी पटवार मण्डल रतेउ के खेत खसरा नम्बर 9 रकबा 106.08 व मौजा पटाली नाडी पटवार मण्डल रतेउ के खेत खसरा नम्बर 900/20 रकबा 43.01 बीघा व मौजा मदों की ढाणी पटवार मण्डल रतेउ के खेत खसरा नम्बर 676, 686, 689, 711, 951/676, 956/676, 959/687, 967/701, 982/711, 984/711, 986/711, 988/711, 990/713 रकबा क्रमशः 92.09, 00.04, 00.16, 03.00, 39.10, 09.00, 18.02, 54.02, 12.05, 13.00, 11.00, 11.06, 09.11 बीघा कुल रकबा 273.14 बीघा की आई हुई है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 12 पूर्वज मदरूपा के वंशज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादी के पिता है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादी के दादा के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेन्ट के समय वादी के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 से 12 का कब्जा काश्त तथा बाद में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 12 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है और वादीगण अपने पैतृक भूमि में हिन्दू उतराधिकारी है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है तथा वादीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाड़ा कर काबिज है। क्योंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरूश के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि मौजा दलोणियों की ढाणी पटवार मण्डल रतेउ के खेत खसरा नम्बर 9 रकबा 106.08 व मौजा पटाली नाडी पटवार मण्डल रतेउ के खेत खसरा नम्बर 900/20 रकबा 43.01 बीघा व मौजा मदों की ढाणी पटवार मण्डल रतेउ के खेत खसरा नम्बर 676, 686, 689, 711, 951/676, 956/676, 959/687, 967/701, 982/711, 984/711, 986/711, 988/711, 990/713 रकबा क्रमशः 92.09, 00.04, 00.16, 03.00, 39.10, 09.00, 18.02, 54.02, 12.05, 13.00, 11.00, 11.06, 09.11 बीघा कुल रकबा 273.14 बीघा में वादी को 1/42 व 1/84 हिस्से का सहखातेदार काश्तकार घोषणा करवाने का अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

वादी द्वारा जरिये अधिवक्ता साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये गये तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 6 के वकील द्वारा वकालातनामा, इकबाली जवाब मय प्रतिदावा लिखित में पेश कर, वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए, वादग्रस्त भूमि मौजा दलोणियों की ढाणी व मदों की ढाणी पटवार मण्डल रतेउ में वादी को क्रमशः 1/42 हिस्सा व मौजा पटाली नाडी में प्रतिवादी संख्या 1 के 1/4 हिस्सा स्वअर्जित व शेष 1/12 में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पैतृक होने से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को 1/84–1/84 हिस्सा घोषित करने व सहखातेदार काश्तकार घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान दी है। प्रतिवादी संख्या 20 व 21 को वादी वकील द्वारा तर्क किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 7 से 19 व 22 जवाब पेश नहीं करना चाहते है। अतः जवाब बंद किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:36:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 का इकबाली जवाब मय प्रतिदावा शामिल पत्रावली कर, वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादी के दादा मदरूपा के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेन्ट के समय वादी के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादी मदरूपा के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त भूमि मौजा दलोणियों की ढाणी, पटाली नाडी व मदों की ढाणी पटवार मण्डल रतेउ में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 6 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा दलोणियों की ढाणी पटवार मण्डल रतेउ के खेत खसरा नम्बर 9 रकबा 106.08 व मौजा मदों की ढाणी पटवार मण्डल रतेउ के खेत खसरा नम्बर 676, 686, 689, 711, 951/676, 956/676, 959/687, 967/701, 982/711, 984/711, 986/711, 988/711, 990/713 रकबा क्रमशः 92.09, 00.04, 00.16, 03.00, 39.10, 09.00, 18.02, 54.02, 12.05, 13.00, 11.00, 11.06, 09.11 बीघा कुल रकबा 273.14 बीघा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को 1/42–1/42 हिस्से का एवं मौजा पटाली नाडी पटवार मण्डल रतेउ के खेत खसरा नम्बर 900/20 रकबा 43.01 बीघा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 6 को 1/84–1/84 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 को 11/42 हिस्से का सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करें।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

निर्णय आज दिनांक 06.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6.1.2020

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:36:12 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.

अनवान्

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
1. भंवराराम पुत्र सांवताराम		1. सांवताराम पुत्र मदरूपाराम वगैरह

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या–117/18. **निर्णय दिनांक :– 06.01.2020**

वादी की ओर से वकील श्री रिणछाराम सियाग उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 06.01.2020 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) विवेक व्यास, सहायक कलक्टर, बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा दलोणियों की ढाणी पटवार मण्डल रतेउ के खेत खसरा नम्बर 9 रकबा 106.08 व मौजा मदों की ढाणी पटवार मण्डल रतेउ के खेत खसरा नम्बर 676, 686, 689, 711, 951/676, 956/676, 959/687, 968/701, 982/711, 984/711, 986/711, 988/711, 990/713 रकबा क्रमशः 92.09, 00.04, 00.16, 03.00, 39.10, 09.00, 18.02, 54.02, 12.05, 13.00, 11.00, 11.06, 09.11 बीघा कुल रकबा 273.14 बीघा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को 1/42–1/42 हिस्से का एवं मौजा पटाली नाडी पटवार मण्डल रतेउ के खेत खसरा नम्बर 900/20 रकबा 43.01 बीघा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 6 को 1/84–1/84 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 को 11/42 हिस्से का सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार गिड़ा निर्णयनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 06.01.2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(विवेक व्यास) 6/1/2020

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:36:12 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण

1. भंवराराम पुत्र सांवताराम जाति–जाट, निवासी–मदों की ढाणी, रतेउ, तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर हाल निवासी राजबेरा, उण्डू तहसील शिव जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. सांवताराम पुत्र मदरूपाराम
2. मेहराराम पुत्र सांवताराम
3. गेनाराम पुत्र सांवताराम
4. खेराजराम पुत्र सांवताराम
5. सोनाराम पुत्र सांवताराम
6. पीराराम पुत्र सांवताराम
7. मेहाराम पुत्र लिखमाराम
8. प्रभूराम पुत्र लिखमाराम
9. तुलछाराम पुत्र लिखमाराम
10. बाबूराम पुत्र लिखमाराम
11. धापूदेवी पत्नी लिखमाराम
12. गंगाराम पुत्र मदरूपाराम
13. गोरधनराम पुत्र मगाराम
14. पीराराम पुत्र शेराराम
15. कलाराम पुत्र शेराराम
16. मोटाराम पुत्र शेराराम
17. टीपूदेवी पत्नी शेराराम
18. किरपाराम पुत्र मगाराम
19. पुनमाराम पुत्र मगाराम
    जातियान् जाट निवासीयान् मदों की ढाणी, रतेउ तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर
20. प्रबन्धक मरूधराम ग्रामीण बैंक शाखा सवाउ पदमसिंह तहसील गिड़ा
21. तहसीलदार, गिड़ा
22. लिखमणाराम पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी दलोणियों की ढाणी, रतेउ तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

6/1/2020

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:36:12 IST
Reason: SelfAttested